Lecture-1

Topic – Constituent Assembly

Class – B.A. Degree – II (Hons, Paper-III)
→ Unit – 1

Subject – Political science

Date – 5 April, 2020

By Rahul Kumar Jha.

संविधान सभा :–

किसी भी सम्प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान रचना का कार्य सामान्यतया उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा कहा जाता है।

संविधान सभा की संकल्पना भारत में सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का विचार, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर

सके, 1919 के एक्ट के विरोध में अंतर्निहित था। किंतु भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, भले ही वह इन शब्दों में या इस नाम विशेष से न हो, पहली बार भारत शासन एक्ट, 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था।

1922 में ही, श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर केन्द्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। उसने संविधान के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। इसके अलावा, फरवरी, 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्वशासी डोमिनियनों के समतुल्य रखते हुए संविधान के आवश्यक

तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की। 24 अप्रैल को सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने 'कामनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल' का प्रारूप तैयार किया।

प्रारूप बिल, थोड़े से संशोधित रूप में जनवरी, 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अंततः बिल प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। समिति ने बिल को प्रकाशित किया। इसके बाद बिल ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के पास भेज दिया गया। उसके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के 43 नेताओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन लगाया गया था। लेबर पार्टी में इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ और थोड़े से संशोधन के साथ इसे पार्टी द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

(CHAPTER CONTINUES...